<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,(एस.सी./एस.टी ऐक्ट) अयोध्या</u>

उपस्थितः- राकेश कुमार षष्ठम, एच.जे.एस.
J.O.Code No.U.P. 6115
प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या- 12/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०-74/2026
C.N.R No.UPFZ01-000652-2026
किसलावती बनाम लक्ष्मी निवास आदि
प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना-इनायतनगर, जिला-अयोध्या।

<u>दिनांक- 06.03.2026</u>

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.</u>

1. प्रार्थिनी किसलावती ने विपक्षीगण लक्ष्मी निवास उर्फ मोनू तिवारी आदि के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. में संक्षेप में कथन किया है कि प्रार्थिनी अनुसूचित चमार बिरादरी की है तथा विपक्षीगण ब्राह्मण बिरादरी के हैं। दिनांक 09.01.2026 को समय लगभग 6 बजे सायं को प्रार्थिनी की पुत्री पल्लवी शौंच के लिए घर से निकली, काफी देर बीत जाने के बाद घर वापस नहीं आयी तो प्रार्थिनी अपनी पुत्री पल्लवी की खोज बीन किया तो ब्लाक मोड़ पर कुछ लोगो ने बताया कि तुम्हारी पुत्री पल्लवी को हम लोगो ने ब्लाक मोड हैरिग्टनगंज पर लक्ष्मी निवास उर्फ मोनू तिवारी, श्री निवास उर्फ सोनू तिवारी, अनुराग तिवारी व राम निवास उर्फ राजा तिवारी के साथ जाते हुए देखा था। तब प्रार्थिनी को पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रार्थिनी की पुत्री पल्लवी को बहला फुसला कर इन्ही लोग भगा ले गये है। उसी दिन प्रार्थिनी विपक्षीगण के घर करीब शाम 6. 30 बजे पहुँची तो देखा कि प्रार्थिनी की पुत्री विपक्षीगण के घर मौजूद है। प्रार्थिनी को देखते ही विपक्षीगण छेड़खानी की नियत से प्रार्थिनी का हाथ पकड़ लिया। प्रार्थिनी जब विरोध किया तो विपक्षीगण लात, घूसा से मारना पीटना शुरू कर दिया भद्दी-भद्दी गाली देने लगें तथा जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए कहा कि चमाइन साली मेरे दरवाजे से भाग जाओ वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। इसी बीच शाहिद बेग तथा प्रार्थिनी के देवर सुहावन तथा तमाम लोग भी मौके पर पहुँच गये। घटना को देखा व बीच बचाव कराया। विपक्षीगण गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए अपने घर के अन्दर चले गये और कहा कि थाने रिपोर्ट करने जाओगी तो पूरे परिवार को जान से मार डालूँगां। विपक्षीगण के मारने से प्रार्थिनी के शरीर में कई चोटे आयी है। प्रार्थिनी काफी डरी व सहमी है। स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की और न ही प्रार्थिनी के चोटो का मेडिकल ही कराया। प्रार्थिनी ने दिनांक 13.01.2026 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया तथा दिनांक 12.01.2026 को जिला अस्पताल जाकर अपनी चोटो का डाक्टरी मुआयना कराया। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

2. प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र, थानाध्यक्ष इनायतनगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्रों की छायाप्रतियां, किसलावती के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र व चिकित्सीय आख्या की छायाप्रतियां व डाक रसीद प्रस्तुत किया है।

3. थाना इनायतनगर से प्रेषित आख्या के अनुसार उक्त प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं है।

4. मैंने प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी तथ्य प्रार्थिनी की जानकारी में हैं। प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य उल्लिखित नहीं है जिसकी विवेचना पुलिस से कराया जाना आवश्यक हो। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **<u>सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2007(59) ए०सी०सी 739</u>** तथा **<u>नरेश कुमार बाल्मीकि व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 नं० 14443/2022</u>** निर्णीत दिनांक 17.10.2022 के आलोक में प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न करके मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी किसलावती द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक- 12.05.2026 को पेश हो।

(राकेश कुमार षष्ठम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी एक्ट
अयोध्या

Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2026.03.06 14:57:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court